कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला–कोरिया, छ0ग0

(E-mail: actd.koriya@nic.in, Ph./Fax No. 07836-232859)

क्र0/966 / ऑ.ला.पो.मै.छा./ 2022–23 बैकुण्ठपुर, दिनांक– 15/06/2022

:: सूचना प्रकाशन ::

वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु विज्ञप्ति

कोरिया जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, डाईट, आई.टी.आई, पॉलिटेक्निक आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एव उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2022–23 हेतु ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatri-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाईट पर ऑनलाइन किया जाना है।

वर्ष 2022–23 से अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार NSP पोर्टल scholarships.gov.in आवेदन किया जाना है। इस पोर्टल में सफल पंजीयन के पश्चात् आवेदन की शेष जानकारी हेतु छ0ग0 राज्य पोर्टल http://postmatri-scholarship.cg.nic.in/ में आवेदन करना अनिवार्य है। उक्त दोनों पोर्टल पर आवेदन नहीं करने पर छात्रवृत्ति भुगतान नहीं होगा।

छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के नवीन एवं नवीनीकरण पंजीयन, संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2022–23 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है :–

क0	प्रकिया	अंतिम तिथि
1.	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 10.06.2022 से 15.07.2022 तक
2.	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 10.06.2022 से 25.07.2022 तक
3.	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 10.06.2022 से 10.08.2022 तक

टीपः– **Disburse (शासकीय/अशासकीय)** हेतु पृथक से तिथि निर्धारित की जावेंगी।

निर्धारित तिथियों के पश्चात् शिक्षा सत्र 2022–23 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृत नहीं किये जावेंगे एवं **Draft Proposal** अथवा **Sanction order lock** करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। उक्त तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंग

15/6/22

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कोरिया

OPPO F9 Pro